न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./41/2021/बाड़मेर

अपीलांट

1. शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह
2. शम्भुसिंह पुत्र तेजसिंह जाति रावणा राजपूत निवासीगण थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1. गपालाल पुत्र जोगाराम
2. नारायणराम पुत्र जोगाराम
3. पारसराम पुत्र जोगाराम
4. मोहनराम पुत्र जोगाराम
5. लेहरो देवी पत्नी जोगाराम
6. हटाराम पुत्र जोगाराम जाति मेघवाल
7. पारसमल पुत्र डुंगरराम
8. मु.मिसी पत्नी गोकाराम
9. रताराम पुत्र गोकाराम
10. राणाराम पुत्र गोकाराम
11. हडमानाराम पुत्र जामताराम
12. उदाराम पुत्र वदाराम
13. धर्मोदेवी पत्नी वदाराम
14. पोकरराम पुत्र आसाराम
15. भट्टाराम पुत्र वदाराम जाति
16. रावताराम पुत्र आसाराम
17. शंकराराम पुत्र आसाराम
18. सांवलाराम पुत्र आसाराम
19. मंगलाराम पुत्र गोकाराम
20. रतनाराम पुत्र गोकाराम जातियान रबारी निवासीयान थापन तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
21. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
22. मैनेजर, एस.बी.आई(ए.डी.बी.) शाखा सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 01/2021 बअनवान गपालाल बनाम पारसमल वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अचलाराम थोरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 16.11.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदातागण जो कि ग्राम थापन में स्थित खेत खसरा संख्या 205 के खातेदार है ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र पेश कर अपने खेत तक जाने के लिये खसरा संख्या 219, 994/218, 993/218, 217 में से होकर रास्ता प्रदान करने हेतु अपीलकर्तागण को पक्षकार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, खेत खसरा संख्या 994/218, 993/218 मौजा थापन अपीलकर्तागण की खातेदारी की है। जिसमें से प्रार्थीगण ने रास्ते की मांग की है जबकि इसके विपरित प्रार्थी/रेस्पोडेंटान के खेत खसरा संख्या 205 के लिए जवाब के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" में दर्शाया बरंग लाल रास्ता मौजुद है तथा उक्त खेत के आवागमन हेतु बदिशा पूर्व/दक्षिण में बरंग हरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत के माढ के लगता मौजूद हैं, तथा उसी रास्ते से प्रार्थीगण आवागमन विगत पीढ़ियों से आ रहे हैं। जो रास्ता पीढीयो पुराना मरडीया स्थित है जो बरंग हरा रास्ता से दर्शाया गया है। जो मौके पर चालु हालात में है जो प्रार्थी के खेत सबसे नजदीकतम रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेंटान के खेत खसरा संख्या 205 के लिए जवाब के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" में दर्शाया बरंग लाल रास्ता मौजुद है तथा उक्त खेत के आवागमन हेतु बदिशा पूर्व/दक्षिण में बरंग हरा रास्ता प्रार्थीगण के खेत के माढ के लगता मौजूद हैं, तथा उसी रास्ते से प्रार्थीगण आवागमन विगत पीढ़ियों से आ रहे हैं। जो रास्ता पीढीयो पुराना मरडीया स्थित है जो बरंग हरा रास्ता से दर्शाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। जो मौके पर चालु हालात में है जो प्रार्थी के खेत सवसे नजदीकतम रास्ता है। जो मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल मरडीया सड़क भी निर्मित कर दी गई है जिसका तकनीकि स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति ग्राम पंचायत थापन द्वारा जारी की गई है जो साथ पेश है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये विना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 03.02.2021 कि प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते की जमीन मौके पर खाली है। संलग्न नक्शे दर्शित बिन्दु ए से बी रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोड़ेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 01/2021 बअनवान गपालाल बनाम पारसमल वगै. में पारित आदेश दिनांक 02.07.2021 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर